अनवान पदमी बनाम तहसीलदार सिवाना

मुकदमा नंबर 317 / 2025

नम्बर व तारीख इस हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-01-26	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट प्राप्त ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पुराने खसरा संख्या 366 थे जिसका तहसील सिवाना के नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरे की पूर्वी माठ पर नया खसरा संख्या 580 बनाकर एक रास्ता अंकित कर दिया गया जबकि मौके पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी में आता है, राजस्व कर्मचारियों को नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान रकबा कम करने या नक्शा में छेडछाड करने या खातेदारी बदलने का कोई हक अधिकार नहीं है अतःप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 581 रकबा 0.7389 हैक्टेयर की पूर्वी दिशा में बनाये गये रास्ते की भूमि खसरा संख्या 580 की अशुद्धि को दुर करवाकर नक्शे में हुई अशुद्धि को संशोधित कर उकत खसरे को पुराने जमाबन्दी के अनुसार जमाबन्दी एवं नक्शे में शुद्धि कर राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस में सुधार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन किया तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का मनन किया। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पीपलून के मूल खसरा संख्या 366 का आपसी सहमति से विभाजन होने से नये खसरा संख्या 869/366,870/366 व 871/366 बने खसरा संख्या 870/366 व 871/366 रकबा क्रम[illegible] व 0.0885 हैक्टेयर से नये ख[illegible] क्रमशः 0.7389 व 0.0887 है[illegible] संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण रेकर्डेड [illegible]दार है।

तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि रास्ता की भूमि न होकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

अनवान पदमी बनाम तहसीलदार सिवाना

मुकदमा नंबर 317 / 2025.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकारान की ताकीद ... हुए
	प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:24 IST
Reason: SelfAttested